



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082020-221315
CG-DL-E-24082020-221315

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2521]
No. 2521]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

का.आ. 2845(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1274 तारीख 8 जुलाई 2019, जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाईन पारियोजना”, तहसील- भोगरई, जिला- बालासोर में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18.03.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थीं,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड					
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाईन परियोजना					
6(1) अनुसूची					
जिला:-	बालासोर	तहसील:-	भोगरई	राज्य :-	ओडिशा
क्र.सं	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डेनुरा - 39	17	00	03	11
		19	00	00	82
		18	00	03	59
		73	00	02	31
		71	00	02	10
		72	00	04	56
		74/921	00	00	05
		79	00	06	67
		78	00	01	93
		152	00	08	16
		82	00	00	07
		150	00	01	21
		151	00	00	55
		149	00	01	08

	डेनुरा - 39	148	00	02	05
		147	00	00	01
		131	00	00	17
		134	00	02	23
		133	00	00	61
		135	00	00	27
		138	00	02	13
		136	00	02	66
		137	00	03	07
		188/955	00	00	20
		188	00	00	37
		189	00	02	14
		220	00	00	99
		221	00	00	99
		219	00	00	31
		218	00	00	24
		217	00	03	79
		216	00	03	53
		355	00	00	26
		202/878	00	00	10
		357	00	04	58
		356	00	00	20
		360	00	00	05
		361	00	06	18
		384	00	01	30
		383	00	01	93
		381	00	00	20
		382	00	02	42
		380	00	02	51
		375	00	00	34
		379	00	00	03
		376	00	01	24
		377	00	01	29

	डेनुरा – 39	378	00	01	16
		667	00	03	32
		668	00	02	18
		669	00	02	45
		669/946	00	01	77
		692	00	08	18
		707	00	00	07
		706	00	02	03
		705	00	00	08
		697	00	05	26
		698	00	02	41
		695	00	02	15
		862	00	05	37
		864	00	00	20
		865	00	01	52
		866	00	03	36

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओ आर-I/ई-29478]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

S.O. 2845(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1274 dated 8th July, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 29 on 14th to 20th July, 2019, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip-Somnathpur-Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Bhograi Tehsil of Balasore District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 18.03.2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED					
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PRODUCT PIPELINE PROJECT					
SCHEDULE of 6(1)					
DISTRICT :- BALASORE		TEHSIL:-	BHOGRAI	STATE:-	ODISHA
S.NO.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DEUNRA - 39	17	00	03	11
		19	00	00	82
		18	00	03	59
		73	00	02	31
		71	00	02	10
		72	00	04	56
		74/921	00	00	05
		79	00	06	67
		78	00	01	93
		152	00	08	16
		82	00	00	07
		150	00	01	21
		151	00	00	55
		149	00	01	08
		148	00	02	05
		147	00	00	01
		131	00	00	17
		134	00	02	23
		133	00	00	61
		135	00	00	27
		138	00	02	13
		136	00	02	66
		137	00	03	07
		188/955	00	00	20
		188	00	00	37
		189	00	02	14
		220	00	00	99
		221	00	00	99
		219	00	00	31
		218	00	00	24
		217	00	03	79
		216	00	03	53
		355	00	00	26
		202/878	00	00	10
		357	00	04	58

	DEUNRA - 39	356	00	00	20
		360	00	00	05
		361	00	06	18
		384	00	01	30
		383	00	01	93
		381	00	00	20
		382	00	02	42
		380	00	02	51
		375	00	00	34
		379	00	00	03
		376	00	01	24
		377	00	01	29
		378	00	01	16
		667	00	03	32
		668	00	02	18
		669	00	02	45
		669/946	00	01	77
		692	00	08	18
		707	00	00	07
		706	00	02	03
		705	00	00	08
		697	00	05	26
		698	00	02	41
		695	00	02	15
		862	00	05	37
		864	00	00	20
		865	00	01	52
		866	00	03	36

[F. No./R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

का.आ. 2846(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1261 तारीख 11 मार्च 2019, जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- पटमुंडई, जिला- केंद्रापड़ा में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15.10.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ,
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची					
तहसील का नाम :- पटामुंडई		जिला :- केन्द्रापड़ा		राज्य :- ओडिशा	
क्र.सं	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साहुपडा - 131	93	00	05	68
		94	00	10	31
		84	00	07	84
		82	00	06	13
		81	00	00	39
		80	00	06	27
		75	00	00	46
		76	00	08	13
		72	00	05	70
		71	00	02	18
		70	00	04	20
		63	00	00	23
		66	00	11	09
		65	00	01	91
		58	00	13	23
		55	00	06	67

	साहुपडा – 131	117	00	00	95
		118	00	00	93
		135	00	00	94
		136	00	00	92
		137	00	02	03
		218	00	04	45
		215	00	03	37
		214	00	10	35
		212	00	00	07
		213	00	01	74
		225	00	16	71
		227	00	16	65
		228	00	02	68
		229	00	01	19
		231	00	10	47
		235	00	05	40
		291	00	05	08
		416	00	30	42
		419	00	07	32
		418	00	00	05
		417	00	02	98
		412	00	01	19
		413	00	00	20
		437	00	00	15
		411	00	07	15
		404	00	01	99
		405	00	04	78
		410	00	00	19
		408	00	00	41
		406	00	07	95
		407	00	02	43
		422	00	03	87

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओ आर-I/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

S.O. 2846(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1261 dated 11th March, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 29 on 14th to 20th July, 2019, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Patamundai Tahasil of Kendrapara District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 15.10.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
TAHASIL: PATAMUNDAI		DISTRICT : KENDRAPARA		STATE: ODISHA	
S.No.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SAHUPADA - 131	93	00	05	68
		94	00	10	31
		84	00	07	84
		82	00	06	13
		81	00	00	39
		80	00	06	27
		75	00	00	46
		76	00	08	13
		72	00	05	70
		71	00	02	18
		70	00	04	20
		63	00	00	23
		66	00	11	09
		65	00	01	91
		58	00	13	23
		55	00	06	67

	SAHUPADA - 131	117	00	00	95
		118	00	00	93
		135	00	00	94
		136	00	00	92
		137	00	02	03
		218	00	04	45
		215	00	03	37
		214	00	10	35
		212	00	00	07
		213	00	01	74
		225	00	16	71
		227	00	16	65
		228	00	02	68
		229	00	01	19
		231	00	10	47
		235	00	05	40
		291	00	05	08
		416	00	30	42
		419	00	07	32
		418	00	00	05
		417	00	02	98
		412	00	01	19
		413	00	00	20
		437	00	00	15
		411	00	07	15
		404	00	01	99
		405	00	04	78
		410	00	00	19
		408	00	00	41
		406	00	07	95
		407	00	02	43
		422	00	03	87

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

का.आ. 2847(अ).—केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईप लाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिस को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाईपलाईन्स प्रभाग क्वाटर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुबन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा -754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाइन पारियोजना						
3(1) अनुसूची						
जिला :- केन्द्रापारा				राज्य :- ओडिशा		
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महाकालपारा	बेलार- 266	546	00	04	18
			547	00	10	52
			548	00	05	75
			689	00	05	39
			686	00	05	11
			687	00	12	13
			685	00	01	02
			1414	00	05	75
			1412	00	00	11
			731	00	07	12
			730	00	00	08
			729	00	04	84
			728	00	04	02

	महाकालपारा	बेलार- 266	727	00	04	52
			726	00	05	14
			725	00	04	40
			738	00	04	41
			739	00	04	48
			744	00	05	19
			745	00	04	66
			902	00	03	91
			903	00	04	65
			908	00	04	05
			909	00	04	43
			899	00	03	64
			911	00	00	39
			912	00	06	46
			916	00	01	60
			915	00	08	47
			919	00	06	59
			926	00	00	71
			924	00	10	26
			923	00	07	46
			925	00	05	32
			950	00	00	16

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओ आर-I/ई-29478]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

S.O. 2847 (E).—Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip-Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha – 754142.

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE of 3(1)						
DISTRICT : KENDRAPARA				STATE: ODISHA		
S.NO.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MAHAKALPARA	BELAR - 266	546	00	04	18
			547	00	10	52
			548	00	05	75
			689	00	05	39
			686	00	05	11
			687	00	12	13
			685	00	01	02
			1414	00	05	75
			1412	00	00	11
			731	00	07	12
			730	00	00	08
			729	00	04	84
			728	00	04	02
			727	00	04	52
			726	00	05	14
			725	00	04	40
			738	00	04	41
			739	00	04	48
			744	00	05	19
			745	00	04	66
			902	00	03	91
			903	00	04	65
			908	00	04	05
			909	00	04	43
			899	00	03	64
			911	00	00	39
			912	00	06	46
			916	00	01	60
			915	00	08	47
			919	00	06	59
			926	00	00	71
			924	00	10	26

	MAHAKALPARA	BELAR - 266	923	00	07	46
			925	00	05	32
			950	00	00	16

[F. No. R-11025(11)/2/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

का.आ. 2848(अ).—केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिस को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र कि प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाईपलाईन्स प्रभाग क्वार्टर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुबन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा -754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाईन पारियोजना						
3(1) अनुसूची						
जिला :- केन्द्रापड़ा				राज्य :- ओडिशा		
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पटामुंडई	साहुपडा - 131	225	00	15	68
			416	00	06	12

।

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओ. आर-1/ई-29478]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

S.O. 2848 (E).—Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip-Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha – 754142

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE of 3(1)						
DISTRICT : KENDRAPARA				STATE: ODISHA		
S.No.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PATAMUNDAI	SAHUPADA -131	225	00	15	68
			416	00	06	12

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.